

रामनवमी

2018

107 दण्डाधिकारी

M-35118-107

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

भारत सरकार
कानून
विशाल साहू
को.

आदेश पत्रक

21/3/18

अभिलेख संख्या :- एम. 35/018/2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 13/18

88
21/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- ~~को मोहरम 2018~~

रामनवमी - 2018

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर दण्ड 107 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 31/3/18 को उपस्थापित करें।

24/3/18

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

खूँटी

21/3/18

नीति को द.प्र.सं सी.आर. 107 के तहत
कार्रवाई से युक्त किया जाता है एवं आविषय में
परिसंगति मंगल न बने ही दिखपत दी जाती है।
अगली तिथि 23.03.19 को रहे। -

₹
12.03.19

23/03/19

द्वितीय पक्ष उपस्थित। दिनांक 06/04/19
को रखें।

06/04/19

द्वितीय पक्ष को एक संकल्प उपस्थित।
डॉ. रामनवमी 2018 की तयुक्त है तथा
यहां प्रभावी द्वारा किसी भी प्रकार का मामला
का प्र उनके विरुद्ध का रिपोर्ट नहीं किया गया
है। अतः शांतिपूर्ण को लोहा की तयुक्त है
कारण बाद ही कार्यवाही बंद की जाती है।

₹
06.04.19